वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 31.01.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर ",अमर उजाला, दैनिक जागरण, आज, राष्ट्रीय सहारा, ज्ञानशिखा टाइम्स, न्यायाधीश,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 31.01.2025

छह बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई

वाराणसी। वीडीए की ओर से बृहस्पतिवार को छह बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई गई। इसके अलावा एक अवैध निर्माण सील कर दो को नोटिस दिया गया। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार सारनाथ वार्ड के फरीदपुर में अरविंद मौर्या की ओर से छह बीघे में अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। इसे पुलिस के सहयोग से तोड़ा गया। सिकरौल और शिवपुर वार्ड के तरना यमुना नगर कॉलोनी का निरीक्षण किया गया। यहां आदित्य सिंह की ओर से बगैर नक्शा पास कराए अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसे सील किया गया। इसके अलावा दिनेश सिंह की ओर से नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य कराने पर नोटिस दिया गया। अजय मिश्रा की ओर से नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य कराने पर नोटिस दिया गया। ब्यूरो

वीडीए ने 7 दिन में ग्रुप हाउसिंग का मानचित्र किया स्वीकृत

वाराणसी। जीटी रोड से गंगापुर मुख्य मार्ग पर वीडीए ने सात दिन में ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र स्वीकृत किया। विकासकर्ता मेसर्स पाथोस रियल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक सतीश कुमार शर्मा ने वीडीए में 5445.35 वर्गमीटर क्षेत्रफल पर ग्रुप हाउसिंग का नक्शा ऑनलाइन जमा किया गया। बलिरामपुर के कसवार राजा में प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग 12 तलों का होगा। इसमें 96 यूनिट फ्लैट होंगे। पार्किंग एवं पहले से 12 वें तल तक निर्माण होगा। पार्किंग के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं होंगी। लिफ्ट,सीढ़ी का प्रावधान किया गया। परियोजना में 96 कार पार्किंग, 18 टू व्हीलर पार्किंग की प्रस्तावित है। ब्यूरो

दैनिक जागरण–दि0 31.01.2025

वीडीए ने ध्वस्त की छह बीघा की अवैध प्लाटिंग

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण की टीम ने गुरुवार को सारनाथ में बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान छह बीघा में की गई प्लाटिंग को ध्वस्त कर दिया। वार्ड-सारनाथ, मौजा-फरीदपुर के अंतर्गत अरविन्द मौर्य द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग छह बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता वर्तिका दुबे उपस्थित रहीं।

आज–दि0 31.01.2025

अवैध प्लाटिंग पर ध्वस्तिकरण और सिलिंग कारवाई

विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर बुधवार को अभियन्ताओं की टीम ने अवैध प्लाटिंग के खिलाफ ध्वस्तिकरण, सीलिंग और नोटिस की कारवाई की। वार्ड सारनाथ मौजा फरीदपुर में अरविंद मौर्य ने बिना अनुमति के प्लाटिंग कर रहे थे। इसी प्रकार शिवपुर के तरना में स्थित यमुना नगर में भवन मालिक आदित्य सिंह बिना मानचित्र स्वीकृति के भवन निर्माण करा रहे थे। शिकायत मिलने पर विप्रा के अभियन्ताओं की टीम भवन पर सिलिंग कारवाई करते हुए निकटतम थाने की अभिरक्षा भवन को सौंप दिया। जबकि प्लाटिंग बने निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया। इसी प्रकार तरना में ही दिनेश सिंह और अजय मिश्र को नोटिस भेजकर भवन का निर्माण कार्य पर रोक लगायी गयी। दोनों भवन मालिक ने आनलाइन मानचित्र का विप्रा में आवेदन किया था। संबन्धित क्षेत्र के अभियन्ताओं और क्षेत्रीय पुलिस की निगरानी में अवैध निर्माण गिराये गये और अन्य पर सिलिंग और नोटिस की कारवाई हुई।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 31.01.2025

वीडीए ने अवैध निर्माण पर कसा शिकंजा

वाराणसी। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर जोन-एक वार्ड-सिकरौल/शिवपुर के तरना क्षेत्र में यमुना नगर कालोनी एवं अन्य का स्थल निरीक्षण किया गया जिसके अंतर्गत एक अवैध निर्माण के विरुद्ध सील व अन्य 02 के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की गयी। शिवपुर वार्ड यमुना नगर कालोनी, तरना के अन्तर्गत आदित्य सिंह द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए द्वितीय तल पर कॉलम का निर्माण कर शटरिंग का कार्य किया जा रहा था जिसके विरूद्ध पूर्व में नोटिस की कार्यवाही की गयी थी लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा स्थल पर चोरी छिपे निर्माणकार्य कराया जा रहा था जिसे सील किया गया। इसी प्रकार शिवपुर, यमुना नगर कालोनी, तरना के अंतर्गत दिनेश सिंह द्वारा फिनिशिंग का कार्य किया जा रहा था लेकिन स्थल पर निर्माण कार्य ऑनलाईन स्वीकृत नक्शे से विचलन होने के कारण निर्माण कार्य को रोकते हुए नोटिस की कार्यवाही की गयी।शिवपुर, यमुना नगर कालोनी, तरना के अंतर्गत अजय मिश्रा द्वारा छत की शटरिंग का कार्य किया जा रहा था। लेकिन स्थल पर निर्माण कार्य ऑनलाइन स्वीकृत नक्शे से विचलन होने के कारण निर्माण कार्य को रोकते हुए नोटिस की कार्यवाही की गयी।

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 31.01.2025

जीटी रोड से गंगापुर मुख्य मार्ग पर प्राधिकरण ने 07 दिन में स्वीकृत की ग्रुप हाउसिंग स्कीम

वाराणसी। आराजी- 234, 235,236 का, 237 का मौजा-बलिराम पुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजा तालाब, जिला-वाराणसी के जीटी रोड से गंगापुर मुख्य मार्ग पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आमजनमानस हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र मात्र 07 दिवस में स्वीकृत किया गया है। विकासकर्ता मे. पाथोस रियलइन्फ्रा प्रा. लि. निदेशक सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय इकबाल नारायण व अन्य द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण में 5445.35 वर्गमीटर नेट क्षेत्रफल भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र आनलाइन जमा किया था, जिसे वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानचित्र अनुभाग द्वारा स्टिल्ट एवं 12 तलों के 96 यूनिट / फ्लैट के मानचित्र को मात्र 07 दिन में पास कर दिया गया। ग्रुप हाउसिंग स्कीम होने के कारण परियोजना में विकासकर्ता को अनुमन्य समस्त रियायतों का लाभ प्रदान किया गया है।परियोजना के अंतर्गत स्टिल्ट पर पार्किंग एवं प्रथम तल से द्वादश (12 वें) तल तक प्रत्येक तल पर 08 कुल 96 फ्लैट की अवधारणा की गयी है। परियोजना में स्टिल्ट तल पर पार्किंग के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं यथा वाशरूम, लिफ्ट,सीढ़ी इत्यादि का प्रावधान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध फ्लैट का फ्लोर एरिया 55 वर्गमीटर से 114 वर्गमीटर है। परियोजना में 96 कार पार्किंग तथा 18 टू व्हीलर पार्किंग की प्रस्तावना की गयी है। प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग की इमारत की ऊंचाई 38.85 मीटर तथा प्रस्तावित टावर के सभी तरफ 12 मीटर का सेटबैक स्वीकृत किया गया है । उपरोक्त मानचित्र स्वीकृति से वीडीए को रु. 1,17,43,288/- का राजस्व प्राप्त हुआ। इस परियोजना में ग्रुप हाउसिंग स्कीम होने के कारण आमजनमानस को मध्य शहर में आवास की सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी तथा क्षेत्र विशेष का नियोजित विकास किया जा सकेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी। विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा लगभग 06 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध धवास्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी ।वार्ड-सारनाथ, मौजा-फरीदपुर के अन्तर्गत अरविन्द मौर्य द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 06 बीघा में अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी जिसे आज दिनांक 30/01/2025 को प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ह। जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अवर अभियंता वेर्तिका दुबे उपस्थित रही। उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 31.01.2025

वाविप्रा ने की 06 बीघा में अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध धवस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम मे वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-2 की प्रवर्तन टीम द्वारा लगभग 06 बीघा मे अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध धवास्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। वार्ड-सारनाथ, मौजा-फरीदपुर के अन्तर्गत अरविन्द मौर्य द्वारा बिना ले-आउट स्वीकृत कराए लगभग 06 बीघा मे अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी जिसे आज दिनांक 30/01/2025 को प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया ।जोनल अधिकारी श्री प्रकाश कुमार अवर अभियंता वेर्तिका दुबे उपस्थित रही। (उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।।

न्यायाधीश–दि0 31.01.2025

जीटी रोड से गंगापुर मुख्य मार्ग पर प्राधिकरण ने 07 दिन में स्वीकृत की ग्रुप हाउसिंग स्कीम

वाराणसी ।आराजी- 234, 235,236 का, 237 का मौजा- बलिराम पुर, परगना-कसवार राजा, तहसील-राजा तालाब, जिला-वाराणसी के उऊ रोड से गंगापुर मुख्य मार्ग पर वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा आमजनमानस हेतु प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र मात्र 07 दिवस में स्वीकृत किया गया है। विकासकर्ता मे. पाथोस रियलइन्फ्रा प्रा. लि. निदेशक श्री सतीश कुमार शर्मा पुत्र स्वर्गीय इकबाल नारायण व अन्य द्वारा वाराणसी विकास प्राधिकरण में 5445.35 वर्गमीटर नेट क्षेत्रफल भूमि पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग स्कीम का मानचित्र आनलाइन जमा किया था, जिसे वाराणसी विकास प्राधिकरण के मानचित्र अनुभाग द्वारा स्टिल्ट एवं 12 तलो के 96 यूनिट / फ्लैट के मानचित्र को मात्र 07 दिन में पास कर दिया गया। ग्रुप हाउसिंग स्कीम होने के कारण परियोजना में विकासकर्ता को अनुमन्य समस्त रियायतो का लाभ प्रदान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत स्टिल्ट पर पार्किंग एवं प्रथम तल से द्वादश (12 वें) तल तक प्रत्येक तल पर 08 कुल 96 फ्लैट की अवधारणा की गयी है। परियोजना में स्टिल्ट तल पर पार्किंग के अतिरिक्त अन्य सुविधाएं यथा वाशरूम, लिफ्ट,सीढ़ी इत्यादि का प्रावधान किया गया है। परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध फ्लैट का फ्लोर एरिया 55 वर्गमीटर से 114 वर्गमीटर है। परियोजना में 96 कार पार्किंग तथा 18 टू व्हीलर पार्किंग की प्रस्तावना की गयी है। प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग बिल्डिंग की इमारत की ऊंचाई 38.85 मीटर तथा प्रस्तावित टावर के सभी तरफ 12 मीटर का सेटबैक स्वीकृत किया गया है। उपरोक्त मानचित्र स्वीकृति से वीडीए को रु. 1,17,43,288/- का राजस्व प्राप्त हुआ।।